तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	टि./सा.
1.	2.	3.

न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा।

आंगनवाड़ी अपील वाद सं0-291/2015 सरिता कुमारी बनाम राज्य एवं अन्य

-: आदेश :-

16.07.20

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-1125/ICDS, 13-07-2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आंगनवाड़ी अपील वाद सं0-291/2015 सरिता कुमारी बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 28-12-2019 को आदेश पारित किया गया है। पारित न्यायादेश निम्नवत है :- ''चयनित सेविका (प्रतिवादी सं0-2 बुलबुल कुमारी) का सेविका पद पर किया गया चयन यथावत रखा जाता है तथा अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील वाद अस्वीकृत किया जाता है।'' उन्होंने यह भी प्रतिवेदित किया है कि जिला प्रोग्राम कार्यालय, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक-44, दिनांक 05-01-2015 के द्वारा श्रीमती सरिता कुमारी, सेविका वार्ड नं0-05, ग्राम पंचायत घैलाढ़, प्रखंड घैलाढ़ का चयन रद्द करते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घैलाढ़ को नियमानुसार चयन प्रकिया प्रारंभ करने का आदेश दिया गया था। परन्तु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घैलाढ़ ने अपने पत्रांक-10, दिनांक 16-01-2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि कार्यालय अभिलेख में बुलबुल कुमारी को चयन करने एवं चयन पत्र निर्गत करने से संबंधित उल्लेख नहीं रहने के कारण समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा के न्यायादेश दिनांक 28-12-2019 का अनुपालन तथा श्रीमती बुलबुल कुमारी को सेविका पद पर चयन के संदर्भ में मार्गदर्शन की मांग की गई है। प्रश्नगत आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका चयन की कार्रवाई अब तक लंबित रहने के कारण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा ने भी मार्गदर्शन की अपेक्षा की है।

प्रश्नगत मामले में आंगनवाड़ी अपील वाद सं0-291/2015 सरिता कुमारी बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 28-12-2019 को पारित आदेश से संबंधित मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक 44, दिनांक 05-01-2015 के द्वारा आम सभा के माध्यम से चयनित सेविका श्रीमती सरिता कुमारी का चयन रद्द कर दिए जाने के बावजूद बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घैलाढ़ के द्वारा नियमानुसार चयन की प्रकिया प्रारंभ कर उनके स्थान पर मेधा सूची के कमांक-02 पर अवस्थित योग्य अभ्यर्थी श्रीमती बुलबुल कुमारी का चयन कर लिया जाना चाहिए था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है, जिस कारण उक्त स्थिति उत्पन्न हुई है।

अतः उल्लेखित परिपेक्ष्य में आंगनवाड़ी अपील वाद सं0-291/2015 सरिता कुमारी बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 29-12-2019 को पारित आदेश में यथा संशोधित करते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घैलाढ़ को आदेश दिया जाता है कि श्रीमती सरिता कुमारी के चयन को रद्द करते हुए मेधा सूची के कमांक-02 श्रीमती बुलबुल कुमारी पति श्री गंगा राम मंडल, ग्राम-घैलाढ़ वार्ड नं0-05, थाना घैलाढ़, जिला मधेपुरा के नाम से चयन पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही पूर्व चयनित सेविका के कार्यरत अवधि का बकाया मानदेय नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। उन्हें यह भी आदेश दिया जाता है कि उक्त अवधि में जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घैलाढ़ के पद पर पदस्थापित थे, उन्हें चिन्हित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु उचित माध्यम से विभाग को प्रस्ताव भेजें।

पूर्व निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय। इसकी सूचना सभी पक्षों को दें।

16/7/2020

स मा ह र्त्ता,
मधेपुरा।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,

16/7/2020

समाहर्त्ता, मधेपुरा।

ज्ञा0 सं0 480 /न्या0, मधेपुरा, दिनांक 16/07/2020

प्रतिलिपिः श्रीमती सरिता कुमारी, पति श्री विजय कुमार, सा0-घैलाढ़ वार्ड नं0-05, थाना+अंचल-घैलाढ़, जिला-मधेपुरा/श्रीमती बुलबुल कुमारी, पति श्री गंगा राम मंडल, सा0-घैलाढ़ वार्ड नं0-05, थाना+अंचल-घैलाढ़, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, (ICDS) मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घैलाढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
विधि शाखा।